

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2025 दि0 लखनऊ: नवम्बर 04, 2025

--: संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक 1274/2025 दिनांक 08-10-2025 के द्वारा माह नवम्बर, 2025 में जनपद वाराणसी में युगलपीठ का गठन दिनांक 03-11-2025 से 07-11-2025 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5 वाराणसी को नामित किया गया था।

सदस्य, पीठ-5, वाराणसी के पत्र संख्या-209 दिनांक 31-10-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें शासन द्वारा जोनल ला कमेटी में अपीलों की समीक्षा हेतु नामित किया गया है अतः वह युगलपीठ दिनांक 03-11-2025 से 07-11-2025 में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं। न्यायिक सदस्य, पीठ-1, वाराणसी के पत्र संख्या-693 दिनांक 04-11-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि सदस्य, पीठ-5, वाराणसी के दिनांक 03-11-2025 व 04-11-2025 में खण्डपीठ में अनुपस्थित रहने के कारण, खण्डपीठ की बैठक नहीं हो सकी है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1274/2025 दिनांक 08-10-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद वाराणसी में गठित युगल पीठ दिनांक 03-11-2025 से 07-11-2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-04.11.2025

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1369/2025 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ-1,2,3,4,5 व 6, वाराणसी।
- 2- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।